संख्या–6 एस० एस०(6)23/2025– /1993

**बिहार सरकार**

**पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग**

प्रेषक,

स्मिता सिन्हा, बि०प्र०से०,
सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार (ले० एवं हक०),बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

पटना–15, दिनांक– 07/05/2025.

XX

XX
अनौपचारिक रूप सेपरामर्शित।

द्वारा :– आंतरिक वित्तीय सलाहकार

विषय :– **चालू वित्तीय वर्ष 2025–26 में बिहार राज्य के लिए प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजनान्तर्गत राज्य में एस०टी० जनसंख्या के लिए धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान (DAJGUA) के अंतर्गत लाभुक–आधारित केन्द्रांश ₹ 75.00 लाख (पचहत्तर लाख रुपया मात्र), राज्यांश ₹ 49.77 लाख (उनचास लाख सतहत्तर हजार रुपया मात्र) तथा ₹ 13.825 लाख़ (तेरह लाख बयासी हजार पाँच सौ रुपया मात्र) टॉप–अप अर्थात् कुल ₹ 138.595 लाख़ (एक करोड़ अड़तीस लाख उनसठ हजार पाँच सौ रुपया मात्र) की लागत पर योजना की प्रशासनिक एवं व्यय की स्वीकृति।**

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक सम्यक विचारोपरान्त चालू वित्तीय वर्ष 2025–26 में बिहार राज्य के लिए प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजनान्तर्गत राज्य में एस०टी० जनसंख्या के लिए धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान (DAJGUA) के अंतर्गत लाभुक–आधारित केन्द्रांश ₹ 75.00 लाख (पचहत्तर लाख रुपया मात्र), राज्यांश ₹ 49.77 लाख (उनचास लाख सतहत्तर हजार रुपया मात्र) तथा ₹ 13.825 लाख़ (तेरह लाख बयासी हजार पाँच सौ रुपया मात्र) टॉप–अप अर्थात् कुल ₹ 138.595 लाख़ (एक करोड़ अड़तीस लाख उनसठ हजार पाँच सौ रुपया मात्र) की लागत पर योजना की प्रशासनिक एवं व्यय की स्वीकृति प्रदान की गयी है। विस्तृत विवरणी अनुलग्नक–। एवं ॥ के रूप में संलग्न है।

2. इस योजना का मुख्य उद्देश्य अनुसूचित जनजाति समुदायों का सामाजिक–आर्थिक विकास तथा उनके आजीविका को सुदृढ़ एवं सहयोग प्रदान करना है।

(i). अनुसूचित जनजाति के मत्स्य कृषकों के मात्स्यिकी के मूल्य श्रृंखला और उनके मत्स्य उत्पाद को सुलभता एवं सुगमता के साथ मत्स्य बाजार तक पहुँच को सुदृढ़ एवं सुनिश्चित करना है।

(ii). जनजातीय आबादी में खाद्य, सस्ती, पौष्टिक एवं पोषण सुरक्षा में अभिवृद्धि हो सकेगा।

(iii). रोजगार के नये अवसर सृजित तथा ग्रामिण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ एवं सुनिश्चित करना है। साथ ही प्रवासन में कमी आएगी।

3. भारत सरकार द्वारा स्वीकृत प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजनान्तर्गत राज्य में एस0टी0 जनसंख्या के लिए धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान (DAJGUA) के अंतर्गत मात्स्यिकी विकास घटक के लाभुक आधारित अवयवों के सफल क्रियान्वयन से राज्य में अनुसूचित जनजाति कृषकों के सामाजिक विकास, वार्षिक आय में अभिवृद्धि होगी, ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा तथा रोजगार के नये अवसर सृजित होंगे।

4. प्रस्तावित योजनान्तर्गत शत–प्रतिशत कुल ₹138.595 लाख अनुदान राशि पर 25 आइस बॉक्स सहित मोटरसाइकिल, 35 आइस बॉक्स सहित साइकिल, 12 आइस बॉक्स सहित तीन पहिया वाहन/ई–रिक्शा एवं 10 मोबाईल फिश कियोस्क का वितरण किया जाएगा।

5. प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना राज्य में एसटी जनसंख्या के लिए धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान (DAJGUA) के तहत स्वीकृति हेतु प्रस्तावित योजना की संक्षिप्त विवरणी निम्न है :–

   (i) केन्द्र प्रायोजित–प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजनान्तर्गत "धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान" (DAJGUA) के तहत वैज्ञानिक मत्स्य पालन, मत्स्य उत्पादन एवं उत्पादकता में अभिवृद्धि, जनजातिय कृषकों का कौशल विकास, उनके मत्स्य उत्पाद को मत्स्य बाजार तक सुलभ पहुँच स्थापित कर जनजातीय क्षेत्र के कृषकों का सामाजिक एवं आर्थिक विकास/सशक्तिकरण, उनके लिए रोजगार के नये अवसर, उनका पोषण स्तर में सुधार आदि में महत्वपूर्ण योगदान प्रदान कर सकती है।

   (ii) वित्तीय वर्ष 2025–26 में भारत सरकार के पत्र संख्या F.No. j-01013/48/2024-Fy, दिनांक–25.03.2025 द्वारा कुल ₹138.595 लाख की लागत की योजना की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई है।

   (iii) इस DAJGUA के अंतर्गत 25 आइस बॉक्स सहित मोटरसाइकिल, 35 आइस बॉक्स सहित साइकिल, 12 आइस बॉक्स सहित तीन पहिया वाहन/ई–रिक्शा एवं 10 मोबाईल फिश कियोस्क लाभुक–आधारित अवयव का वितरण प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (PMMSY) के अंतर्गत स्वीकृति हेतु प्रस्तावित हैं जिसका जिलावार, अवयववार, निर्धारित इकाई लागत, भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य, केन्द्रांश राशि, राज्यांश राशि एवं टॉप–अप राशि सहित विस्तृत विवरणी **अनुलग्नक–I** संलग्न है।

6. प्रस्तावित योजना शत–प्रतिशत अनुदान (सब्सिडि) राशि पर कार्यान्वित किया जायेगा तथा लाभार्थियों का लाभुक–अंशदान शुन्य होगा। इससे इस योजना के क्रियान्वयन में सम्भावित वित्तीय बाधा समाप्त होगी तथा अनुसूचित जनजाति के मत्स्य कृषको को एक मजबूत आर्थिक एवं सामाजिक आधार प्रदान करने में सहायक होगी। इस योजनान्तर्गत अवयववार निर्धारित इकाई का 90 प्रतिशत राशि सब्सिडी के रूप में 60:40 के अनुपात में केंद्र और राज्य सरकार तथा इसके अतिरिक्त, शेष 10 प्रतिशत राशि राज्य सरकार द्वारा टॉप–अप सब्सिडी के रूप में वहन किया जायेगा। इस प्रकार निर्धारित इकाई लागत का क्रमशः 54 प्रतिशत एवं 46 प्रतिशत राशि केंद्र और राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा।

7. प्रथम चरण में यह योजना राज्य के भागलपुर एवं बाँका जिलों में कार्यान्वित किया जायेगा तथा इन्ही जिलों के चिन्हित क्षेत्र के अनुसूचित जनजाति वर्ग के कृषक लाभुक होंगे।

8. सामान्य क्रियान्वयन निदेश –

(i) प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के सूत्रण, स्वीकृति, अनुश्रवण एवं कार्यान्वयन हेतु राज्य स्तर पर राज्य स्तरीय स्वीकृति और अनुश्रवण समिति (SLAMC) एवं जिला स्तर पर जिला स्तरीय समिति (DLC) का गठन राज्य सरकार के अधिसूचना संख्या–889 दिनांक 07.08.2020 के द्वारा किया गया है।

(ii) योजनान्तर्गत विभिन्न अवयवों की इकाई लागत तथा देय शत–प्रतिशत अनुदान की राशि की अधिकतम सीमा निर्धारित है जिसके अनुसार ही अनुदान का भुगतान किया जाएगा। यदि किसी अवयव की लागत योजनान्तर्गत निर्धारित इकाई लागत से अधिक व्यय होती है तो अतिरिक्त व्यय राशि का वहन लाभुक द्वारा स्वयं स्वलागत अथवा बैंक ऋण के माध्यम से किया जाएगा।

(iii) इस योजनान्तर्गत के सफल कार्यान्वयन हेतु केन्द्र सरकार के मत्स्यपालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय के मत्स्यपालन विभाग, नई दिल्ली के पत्र संख्या j-**01013/48/2024-Fy,** दिनांक 14.01.2025 द्वारा निर्गत क्रियान्वयन अनुदेश की अनुमान्यता होगी।

(iv) Department of Expenditure, PFMS Division, Ministry of Finance, Govt. Of India द्वारा "Just-in-Time" release of Centrally Sponsored Schemes (CSS) funds through e-kuber of Reserve Bank of India (RBI) से सम्बन्धित निर्गत कार्यालय ज्ञापन (Office Memorandum) F.No. 1(27)/PFMS/2020 दिनांक 13 जुलाई, 2023 तथा भविष्य में केन्द्र एवं राज्य सरकार (वित्त विभाग, बिहार, पटना) द्वारा निर्गत करने वाले दिशा–निर्देश से इस योजनान्तर्गत प्रशासनिक एवं व्यय हेतु स्वीकृत राशि की निकासी/व्यय किये जाने वाले राशि अच्छादित होगी।

(v) इस केन्द्र प्रायोजित योजना के तहत धनराशि का प्रबंधन और व्यय प्रगतिशील तरीके से समयोचित प्रणाली एकीकृत शीघ्र हस्तांतरण (Real Time System of Integrated Quick Tranfer) ढांचे के माध्यम से किया जाएगा, जिसमें पी0एफ0एम0एस0–एस0एन0ए0 स्पर्श (Public Financial Management System-SNA SPARSH), राज्य आई0एफ0एम0आई0एस0 (State Integrated Financial Management Information System) और भारतीय रिज़र्व बैंक (Reserve Bank of India) के ई–कुबेर प्लेटफ़ॉर्म (e-kuber platform) शामिल होंगे।

(vi) इस योजनान्तर्गत स्वीकृत केन्द्रांश की राशि मदर सैंक्शन (Mother Sanction) के रूप में SNA SPARSH Platform of PFMS प्रणाली में विमुक्त किया जाएगा। राज्य सरकार द्वारा व्यय हेतु स्वीकृत केन्द्रांश राशि तथा इसके अनुपातिक राज्यांश राशि (टॉप–अप राज्यांश राशि सहित) को केन्द एवं राज्य सरकार द्वारा SNA SPARSH प्रणाली से सम्बन्धित निर्गत दिशानिर्देश/अनुदेश के आलोक में योजनान्तर्गत स्वीकृत राशि का व्यय किया जायेगा।

(vii) इस योजना के कार्यान्वयन में यदि कोई कठिनाई परिलक्षित होती है तो, विभागीय अधिसूचना संख्या म0योजना–08/2021–313 दिनांक 02 मार्च, 2022 के तहत प्रदत्त शक्ति के आलोक में निदेशक मत्स्य, बिहार, पटना की अध्यक्षता में गठित तकनिकी समिति द्वारा कठिनाईयों के निराकरण हेतु समुचित निर्णय लिया जाएगा अथवा विभागीय अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव अथवा राज्य स्तरीय स्वीकृति एवं अनुश्रवण समिति (State Level Approval and Monitoring Committee) के अनुमति से निदेशक मत्स्य, बिहार आवश्यक दिशा निर्देश निर्गत कर सकेंगे।

(viii) इस योजना के तहत बजट शीर्षवार, विषयशीर्षवार, निकासी एवं व्ययंन पदाधिकारी, कोषागार, व्यय हेतु स्वीकृत राशि आदि की विस्तृत विवरणी अनुलग्नक–। के रूप में संलग्न है।

(ix) इस योजनान्तर्गत जिला मत्स्य पदाधिकारी, भागलपुर एवं बाँका विहित प्रपत्र में उपयोगिता प्रमाण–पत्र मत्स्य निदेशालय को ससमय उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

(x) इस योजना के सफल क्रियान्वयन हेतु निदेशक मत्स्य, बिहार, पटना सर्वोच्च नियंत्री पदाधिकारी तथा पूर्ण रूपेण जवाबदेह होंगे। साथ ही, व्यय की गई राशि का विहित प्रपत्र में उपयोगिता प्रमाण–पत्र भारत सरकार को उपलब्ध कराया जायेगा।

(xi) इस योजना के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी–निदेशक, मत्स्य, बिहार, पटना एवं जिला मत्स्य पदाधिकारी–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी (भागलपुर एवं बाँका) होंगे।

(xii) योजनान्तर्गत पूर्व में जिलों को संसूचित अवयवार, श्रेणीवार, जिलावार लक्ष्य की अनुमान्यता होगी तथा योजना का क्रियान्वयन 2025–26 तथा आगामी वर्षो में भी किया जाएगा।

17. इस केन्द्र प्रायोजित योजना के लाभुक आधारित घटक के तहत् अनुसूचित जनजाति के लाभुकों के लिए स्वीकृत केन्द्रांश राशि का व्यय–मांग संख्या–02, मुख्य शीर्ष–2405–मछली पालन, उपमुख्य शीर्ष–00, लघु शीर्ष–796–जनजातीय क्षेत्र उप योजना, उपशीर्ष–0201–नीली क्रांतिः समेकित विकास एवं मत्स्य पालन के प्रबंधन (प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना) (पी0एम0एम0एस0वाई0) विपत्र कोड–02. 2405007960201 के विषय शीर्ष–0201.33.01–सब्सिडी मद में उपबंधित से किया जाएगा। साथ ही योजनान्तर्गत स्वीकृत राज्यांश एवं टॉप–अप की राशि की व्यय–मांग संख्या–02, मुख्य शीर्ष–2405–मछली पालन, उपमुख्य शीर्ष–00, लघु शीर्ष–796 –जनजातीय क्षेत्र उप योजना, उप शीर्ष–0301–नीली क्रांति : समेकित विकास एवं मत्स्य पालन के प्रबंधन (प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना) (पी0एम0एम0एस0वाई0) विपत्र कोड–02.2405007960301 के विषय शीर्ष–0301.33.01–सब्सिडी मद में उपबंधित राशि से किया जाएगा।

2) इस स्कीम का लागत मूल्य ₹ 5.00 करोड़ से कम है। इसलिए वित्त विभागीय संकल्प–12888, दिनांक–03.12.2024 में सन्निहित प्रावधान एवं प्रदत्त वित्तीय शक्ति के आलोक में प्रस्ताव एवं राज्यादेश प्रारूप में अपर मुख्य सचिव का अनुमोदन प्राप्त

है। संचिका संख्या–6 एस०एस०(6)23/2025 के पृष्ठ–10/टि०, दिनांक–02.05.2025.

3) राज्यादेश प्रारूप में आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है। संचिका संख्या–6 एस०एस०(6)23/2025 के पृष्ठ–09/टि०, तथा डायरी संख्या–205, दिनांक–30.04.2025.

4) वित्त विभाग के पत्र संख्या–7355, दिनांक–05.10.2007 में सन्निहित प्रावधान के आलोक में राशि की निकासी में महालेखाकार, बिहार, पटना से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।

विश्वासभाजन

5/5/25

(स्मिता सिन्हा)

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक :– 6 एस०एस०(6)23/2025– 1993 /पटना–15, दिनांक–07/05/2025.

प्रतिलिपिः–अनुलग्नक की प्रति के साथ कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

5/5/25

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक :– 6 एस०एस०(6)23/2025– 1993 /पटना–15, दिनांक–07/05/2025.

प्रतिलिपिः–अनुलग्नक की प्रति के साथ वित्त विभाग (योजना एवं बजट शाखा)/ योजना एवं विकास विभाग/आंतरिक वित्तीय सलाहकार, पशु एवं मत्स्य संसाधन, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

5/5/25

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक :– 6 एस०एस०(6)23/2025– 1993 /पटना–15, दिनांक–07/05/2025.

प्रतिलिपिः–अनुलग्नक की प्रति के साथ मुख्य कार्यपालक, राष्ट्रीय मात्स्यिकी विकास बोर्ड (NFDB), पिलर नम्बर–235, पी0वी0एन0आर0 एक्सप्रेस वे, पोस्ट– एन0बी0पी0 एन0पी0ए0, हैदराबाद–500052 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

5/5/25

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक :– 6 एस०एस०(6)23/2025– 1993 /पटना–15, दिनांक–07/05/2025.

प्रतिलिपिः– अनुलग्नक की प्रति के साथ निदेशक मत्स्य, बिहार, पटना/सभी संयुक्त मत्स्य निदेशक/सभी उप मस्त्य निदेशक/सभी जिला मत्स्य पदाधिकारी–सह– मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

5/5/25

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक :– 6 एस०एस०(6)23/2025– 1993 /पटना–15, दिनांक–07/05/2025.

प्रतिलिपिः– अनुलग्नक की प्रति के साथ मत्स्य निदेशालय के योजना शाखा/बजट शाखा/लेखा शाखा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

5/5/25

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक :– 6 एस०एस०(6)23/2025– 1993 /पटना–15, दिनांक–07/05/2025.

प्रतिलिपिः– अनुलग्नक की प्रति के साथ विभाग के सभी पदाधिकारी/योजना शाखा कार्यवाह सहायक प्रशाखा पदाधिकारी को अतिरिक्त पाँच प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

5/5/25

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक :– 6 एस०एस०(6)23/2025– 1993 /पटना–15, दिनांक–07/05/2025.

प्रतिलिपिः– अनुलग्नक की प्रति के साथ महालेखाकार (लेखा परीक्षा) बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

5/5/25

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक :– 6 एस०एस०(6)23/2025– 1993 /पटना–15, दिनांक–07/05/2025.

प्रतिलिपिः– अनुलग्नक की प्रति के साथ निदेशक (मात्स्यिकी एवं प्रसार), मत्स्यपालन विभाग, मत्स्यपालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली को सूचनार्थ प्रेषित।

5/5/25

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक :– 6 एस०एस०(6)23/2025– 1993 /पटना–15, दिनांक–07/05/2025.

प्रतिलिपिः– अनुलग्नक की प्रति के साथ अपर मुख्य सचिव के आप्त सचिव, पशु एवं मत्स्य संसाधन, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

5/5/25

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक :– 6 एस०एस०(6)23/2025– 1993 /पटना–15, दिनांक–07/05/2025.

प्रतिलिपिः– अनुलग्नक की प्रति के साथ विभागीय आई०टी० मैनेजर को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेत सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

5/5/25

सरकार के संयुक्त सचिव

**(अनुलग्नक–I)**

**चालू वित्तीय वर्ष 2025–26 में बिहार राज्य के लिए प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजनान्तर्गत राज्य में एस0टी0 जनसंख्या के लिए धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान (DAJGUA) के अंतर्गत लाभुक–आधारित योजना हेतु वृहद, लघु एवं उपशीर्ष बजट विवरणी, कोषागार, निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की सूचि तथा स्वीकृत राशि की विवरणी।**

**(राशि लाख में)**

| क्र0 | वृहद, मुख्य, लघु, उपशीर्ष एवं विपत्र कोड | विषय शीर्ष | स्वीकृत राशि (लाख में) | निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी | कोषागार का नाम |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | 9 |
| 1 | मांग संख्या–02, मुख्य शीर्ष–2405–मछली पालन, उपमुख्य शीर्ष–00, लघु शीर्ष–796 –जनजातीय क्षेत्र उप योजना, उपशीर्ष–0201–नीली क्रांतिः समेकित विकास एवं मत्स्य पालन के प्रबंधन (प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना) (पी0एम0एम0एस0वाई0) विपत्र कोड–02.2405007960201 **(केन्द्रांश),** पी0एफ0एम0एस0 कोड– 3890 **(अनुसूचित जनजातियों के लाभुकों हेतु अनुदान 90 प्रतिशत)** | 0201–33.01 – सब्सिडी | 75.000 | निदेशक मत्स्य बिहार, पटना/जिला मत्स्य पदाधिकार–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, बाँका एवं भागलपुर | कोषागार विकास भवन, बिहार, पटना |
| | मांग संख्या–02, मुख्य शीर्ष–2405–मछली पालन, उपमुख्य शीर्ष–00, लघु शीर्ष–796 –जनजातीय क्षेत्र उप योजना, उप शीर्ष–0319–नीली क्रांति : समेकित विकास एवं मत्स्य पालन के प्रबंधन (प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना) (पी0एम0एम0एस0वाई0) विपत्र कोड–02.2405007960301 **(राज्यांश),** पी0एफ0एम0एस0 कोड– 3890 **(अनुसूचित जनजातियों के लाभुकों हेतु अनुदान 90 प्रतिशत)** | 0301–33.01 – सब्सिडी | 49.770 | | |
| | मांग संख्या–02, मुख्य शीर्ष–2405–मछली पालन, उपमुख्य शीर्ष–00, लघु शीर्ष–796 –जनजातीय क्षेत्र उप योजना, उप शीर्ष–0319–नीली क्रांति : समेकित विकास एवं मत्स्य पालन के प्रबंधन (प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना) (पी0एम0एम0एस0वाई0) विपत्र कोड–02.2405007960301 **(राज्यांश),** पी0एफ0एम0एस0 कोड– 3890 **(अनुसूचित जनजातियों के लाभुकों हेतु अनुदान 10 प्रतिशत टॉप–अप)** | 0301–33.01 – सब्सिडी | 13.825 | | |
| | कुल योग (केन्द्रांश) | | 75.000 | | |
| | कुल योग (राज्यांश एवं टॉप–अप) | | 63.595 | | |
| | **महायोग (केन्द्रांश + राज्यांश)** | | **138.595** | | |
| | **(एक करोड़ अड़तीस लाख पाँच सौ पंचानबे रूपये मात्र)** | | | | |

1993
07/05/2025

5/5/25

**सरकार के संयुक्त सचिव**

**ANNEXURE : II**

District wise details of beneficiary oriented activities of PMMSY under DAJGUA.

(Amount in Lakhs)

| Sl | District | Component/ Activities | Unit cost (Lakhs) | TARGET | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Physical (Nos) | Financial (In Lakhs) | | | |
| | | | | | Central Share | State Share | State Top up | Total |
| 01 | Banka | Motorcycle with Ice Box | 0.75 | 10 | 4.05 | 2.70 | 0.75 | 7.50 |
| | Bhagalpur | | | 15 | 6.075 | 4.05 | 1.125 | 11.25 |
| 02 | Banka | Cycle with Ice Box | 0.10 | 25 | 1.35 | 0.90 | 0.25 | 2.50 |
| | Bhagalpur | | | 10 | 0.54 | 0.36 | 0.10 | 1.00 |
| 03 | Banka | Three-wheeler with Ice Box including e-rickshaws for fish vending | 3 | 6 | 9.72 | 6.48 | 1.80 | 18.00 |
| | Bhagalpur | | | 6 | 9.72 | 6.48 | 1.80 | 18.00 |
| 04 | Banka | Mobile fish Kiosk | 10 | 6 | 32.40 | 21.60 | 6.00 | 60.00 |
| | Bhagalpur | | | 2 | 10.80 | 7.20 | 2.00 | 20.00 |
| **TOTAL** | | | | **80** | **74.655** | **49.77** | **13.825** | **138.25** |
| **Say** | | | | | **75** | **63.595** | | |
| | | | | | **138.595** | | | |

**Central Share: 75.00 Lakh & State Share: 63.595 Lakh (including State Share Top-up)**

5/5/25

सरकार के संयुक्त सचिव

1993
07/05/2025